मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

खनिज नीति 2010

अनुक्रमणिका

अनु.	विषय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	1
1.	खनिजों का सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं खनिजों के भण्डारों का आंकलन	4
2.	खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	5
3.	खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन का निवारण एवं नियंत्रण	6
4.	खनि रियायतों की स्वीकृति एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(5) के अंतर्गत प्राथमिकता	7
5.	प्रदेश में बहुतायत में पाये जाने वाले खनिजों हेतु खनि रियायत	10
6.	वैज्ञानिक एवं सुनियोजित खनन	10
7.	भूमि उपयोग एवं निरंतर विकास	10
8.	अधोसंरचना का विकास	11
9.	आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में खनि रियायतों की स्वीकृति	11
10.	पर्यावरण एवं वन संबंधी अनुमतियाँ	12
11.	खनिज राजस्व में वृद्धि	12
12.	खनन हेतु मानव संसाधन विकास	12

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

खनिज नीति 2010

प्रस्तावना–

खनिज किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रकृति की अद्वितीय अक्षय निधि है। यह सीमित और अनवीकरणीय है। यद्यपि इसका वैज्ञानिक एवं सुनियोजित तरीके के दोहन नहीं किया जाता है तो इससे समाज एवं पारिस्थितिकी को अनेकों अपूरणीय क्षति भी हो सकती है। प्रदेश के समुचित एवं निरन्तर विकास को सुनिश्चित करने हेतु खनिज संसाधन के दोहन हेतु यह खनिज नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत निरन्तर विकास को प्राप्त करने के लिये सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीकों से तथा समस्त पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय विषयों को ध्यान में रखते हुए खनिजों का विकास सुनिश्चित किया जायेगा।

खनिजों पर राज्य का अधिकार है। किन्तु भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत खनिजों के विकास में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से खनिज के विनियमन एवं विकास हेतु अधिनियम एवं नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं। यह केन्द्र सरकार के अधिनियम यथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 से संचालित होता है। खनिज क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य, खनिज विकास एवं बहुमूल्य संसाधनों की उपलब्धता पर समग्र रूप से ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की खनिज नीति घोषित करने हेतु मार्गदर्शन भी जारी किये गये हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति के उद्देश्यों के अनुरूप ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की नवीन खनिज नीति, 2010 तैयार की गई है।

राज्य की भूगर्भीय संरचना (ढ़ाँचा) :–

राज्य की भूगर्भीय संरचना (ढ़ाँचा) व्यापक विभिन्नताओं से सम्पन्न है। राज्य के विभिन्न भागों में पुरातन समय की चट्टानों यथा आर्कियन (Archean) समय से लेकर अद्यतन समय तक की जलोढ़ (Alluviam) उपलब्ध है। आर्कियन (Archean) तथा प्रोटिरोजोईक (Proterozoic) काल की चट्टानें प्रदेश के लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र में है। यह चट्टानें मुख्यतः बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एवं सौंसर/सकोली समूह की हैं। सौसर/सकोली समूह की चट्टानें राज्य के मैंगनीज अयस्क के भण्डारों के लिये जानी जाती हैं। इसके पश्चात मध्य एवं उच्च प्रोटिरोजोईक (Proterozoic) समूह की चट्टाने हैं, जिसे ''पुराना समूह'' कहा जाता है। इसमें विन्ध्यन, बिजावर तथा ग्वालियर समूह की चट्टानें आती हैं। हीरा धारित किम्बरलाइट चट्टानें इसमें अंतर्विष्ट (Intrusive) के रूप में पाई जाती है। इस समूह की चट्टानों में चूनापत्थर, डोलोमाइट एवं फास्फोराइट के भण्डार भी पाये जाते हैं। राज्य का लगभग 10 प्रतिशत भाग गोंडवाना समूह की चट्टानों से आच्छादित है। इसमें कार्बोनिफेरस (Carboniferous) समय से लेकर क्रेटेशियस (Cretaceous) समय में निर्मित मुख्यतः सेंड स्टोन (Sand Stone) है। इस समूह में राज्य के कोयला भण्डार हैं। राज्य का 35 प्रतिशत भाग ज्वालामुखी चट्टान बेसाल्ट (Volcanic Rock Basalt) से आच्छादित है। डक्कन ट्रैप बेसाल्ट (Deccan Trap Basalt) राज्य के मण्डला, जबलपुर, बालाघाट एवं सिवनी आदि जिलों में उच्च पठार का निर्माण करते हैं। यह सतना जिले में विन्ध्यन के ऊपर तथा मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग – इन्दौर, खरगोन, खण्डवा आदि जिलों में फैला हुआ है। इसके भौमिकीय युग में हुए अपरदन (Weathering) से प्रदेश के बाक्साइट एवं लेटेराइट खनिजों के भण्डारों का निर्माण हुआ है। बालाघाट जिले के उत्तर पूर्व में स्थित मलांजखण्ड ग्रेनाइट में प्रसिद्ध मलांजखण्ड ताम्र भण्डार हैं। क्वाटरनरी (Quaternary) समय के जलोढ़ (Alluviam) नर्मदा, ताप्ती एवं चम्बल नदी घाटी में विस्तृत रूप से पाये जाते हैं। इन नदी घाटियों, विशेषतया नर्मदा घाटी में पूर्व मानव सभ्यता के चिन्ह मिले हैं।

प्रदेश की खनिज संपदा

मध्यप्रदेश देश के खनिज संपन्न राज्यों में से एक राज्य है। राज्य को हीरे के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ ही वर्ष 2009–2010 के दौरान राज्य देश में हीरा,, ताम्र अयस्क तथा पायरोफिलाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, रॉक फास्फेट, शेल, डायस्पोर फायरक्ले के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर तथा मैंगनीज, चूनापत्थर एवं ओकर खनिज के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है। कोयला उत्पादन में राज्य चतुर्थ स्थान पर रहा है।

इंडियन ब्यूरों ऑफ माइन्स के द्वारा प्रकाशित ''इंडियन मिनरल ईयर बुक'' आधारित प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों के कुल भण्डार की जानकारी परिशिष्ट –1 में दी गई है। वर्ष 2009–10 में प्रदेश में लगभग `10,600 करोड़ मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ तथा प्रदेश को `1590 करोड़ का राजस्व खनिज रायल्टी के रूप में प्राप्त हुआ है। खनिज उत्पादन तथा खनिज राजस्व की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 2 एवं 3 में दी गई है।

वर्ष 2009–10 की स्थिति में राज्य में विभिन्न खनिजों के 1101 खनिपट्टे, 201 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां तथा 43 अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृत थे। इसके अतिरिक्त गौण खनिजों के खनन हेतु 5068 उत्खनिपट्टे तथा 3920 घोष विक्रय खदानें भी कार्यरत थीं।

खनिज नीति, 2010

(1) खनिजों का सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं खनिजों के भण्डारों का आंकलन

1.1 भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग एवं राज्य शासन के संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, जो कि खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं खनिज भण्डारों के आंकलन करने के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थायें हैं, आपस में अधिक समन्वय तथा उपलब्ध जानकारी का आदान–प्रदान सुनिश्चित करेंगी।

1.2 संचालनालय को खनिजों के अन्वेषण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जावेगा। संचालनालय के तकनीकी अमले को समय सीमा में खनिजों के अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा।

1.3 नवीन खनिजों की खोज और भण्डार के आंकलन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनिजों की खोज करने के लिए निजी क्षेत्र सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.4 एक निश्चित अनुपात में उच्च और निम्न श्रेणी खनिज के मिश्रण के लिए अध्ययनों और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.5 खनिजों के अन्वेषण, खनिज प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा खनिज धारित क्षेत्रों के विकास के लिये खनि विकास निधि बनाई जाएगी। इस निधि में आवंटन हेतु आवश्यकता के अनुरूप, प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जावेगा। वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रावधान के तहत निधि का आवंटन किया जावेगा।

1.6 बहुमूल्य धातुओं जैसे गोल्ड, बेसमेटल्स, प्लेटिनम, डायमण्ड एवं लो ग्रेड आयरन ओर (Low Grade Iron Ore) की खोज को विशेष प्राथमिकता दी जावेगी।

1.7 बहुमूल्य धातुओं एवं सतह पर बहुतायत से न पाये जाने वाले खनिजों की भविष्य में अवीक्षी अनुज्ञा दिए जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। सतह पर या बहुतायत से उपलब्ध खनिजों के लिए अवीक्षी अनुज्ञा दिए जाने को निरूत्साहित किया जायेगा।

1.8 राज्य भूगर्भीय कार्यक्रम बोर्ड (State Geological Pragramming Board) में निजी क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों के भू–विज्ञान विभाग के विद्वानों, खनन क्षेत्र में संलग्न कतिपय चयनित उद्योग समूहों को भी सम्मिलित किया जावेगा।

1.9 खनिज भंडारों के आंकलन के लिए यू.एन.एफ.सी. (यूनाईटेड नेशन फ्रेम वर्क आफ क्लासिफिकेशन) को अंगीकृत किया जाएगा।

(2) खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण :

2.1 गौण खनिज के पट्टों की स्वीकृति की अधिकारिता जिसमें ग्रेनाइट एवं मार्बल सम्मिलित हैं, को अधिकतम सीमा तक विकेन्द्रीकृत किया जायेगा।

2.2 सभी प्रकार के खनि रियायत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑन लाईन ट्रेकिंग की जाएगी।

2.3 बेहतर दक्षता और प्रशासन के लिए संचालनालय, क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों को आधुनिकृत किया जावेगा।

(3) खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन का निवारण एवं नियंत्रण :—

3.1 खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्गों पर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तौल मशीन तथा जांच चौकियों की स्थापना की जाएगी।

3.2 खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिये विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाएगा।

3.3 खनिजों के परिवहन के लिए राज्य में चरणबद्ध रीति में ई परमिट पद्धति को विकसित किया जाएगा।

3.4 राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं उड़नदस्तों को अधिक प्रभावी एवं अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा।

3.5 अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय रिजोल्युशन उपग्रह डाटा को उपयोग में लाया जाएगा। खनन क्षेत्र की सटीक अवस्थिति सुनिश्चित करने के लिए खनिपट्टा स्वीकृति/नवीकरण के समय ग्रिड आधारित मानचित्र आवश्यक कर दिये जायेंगे।

3.6 नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं दोषियों को नई खनि रियायतों की स्वीकृति अथवा उसे प्रदत्त खनिपट्टे के नवीकरण पर विचार नहीं किया जावेगा।

3.7 खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन में संलग्न वाहनों के पंजीयन निरस्त/निलंबित किये जाने तथा इस प्रकार के वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही सुसंगत नियमों के परीक्षण के पश्चात की जायेगी।

3.8 चार्टड अकाउन्टेंट से उन खदानों का आडिट कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी, जो पांच करोड़ या उससे अधिक का राजस्व देती हैं।

3.9 चिन्हित खनिज धारित जिलों में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु दल गठित कर सतत् कार्यवाही की जाएगी।

3.10 खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए इस विषय को ग्राम सभा के ऐजेन्डे में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाएगी जिससे कि इस अवैध कृत्य के विरूद्ध जागरूकता का प्रसार हो सके।

3.11 ऐसे उद्यमियों का पंजीयन कर जो कि खनिजों का भंडारण कर उसका वाणिज्यिक उपयोग करते है, रायल्टी भुगतान किये गये खनिज का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) खनि रियायतों की स्वीकृति एवं खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11(5) के अंतर्गत प्राथमिकता

4.1 नियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर आवेदन पत्रों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दृष्टि से खनि रियायतों के आवेदन पत्रों को आन लाइन प्राप्त किया जाएगा।

4.2 टोही परमिट के लिये प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जावेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टोही परमिट के माध्यम से प्राप्त डाटा को बंधनकारी समयसीमा के उपरान्त संचालनालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि यह डाटा अन्य संभावित उद्यमियों को सुगमता से उपलब्ध हो सके।

4.3 कटनी, जबलपुर, सतना, रीवा, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, सागर, झाबुआ, धार, सीधी, सिंगरौली एवं बैतूल आदि खनिज बाहुल्य जिलों के किसी भी क्षेत्र में जहाँ विस्तृत पूर्वेक्षण (Prospecting) द्वारा खनिजों के भण्डार का आंकलन

किया जाना हो, इसका विवरण राजपत्र में प्रकाशित कर निर्धारित समय सीमा में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

4.4 अवीक्षी अनुज्ञा से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति से खनिपट्टा में बाधारहित परिवर्तन के सिद्धान्त का पालन किया जावेगा।

4.5 ऐसे खनिज धारित क्षेत्र को, जिनमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म/खनिज गवेषण कार्पोरेशन लिमिटेड या अन्य स्त्रोतों द्वारा खनिज भण्डारों का आंकलन (Estimation) किया गया है को भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, में संशोधन अधिसूचित होने के साथ ही, नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत किया जावेगा।

4.6 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज धारित क्षेत्रों को ऐसी रीति में अधिसूचित तथा स्वीकृत किया जाये, जिससे कि खनिज भण्डारों का विखण्डन, अपव्यय कम हो, खदानों का विकास वैज्ञानिक ढ़ंग से हो तथा शून्य अपव्यय खनन सुनिश्चित हो।

4.7 किसी भी आवेदक की खनिज पर एकाधिकारिता पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रत्येक खनि रियायत धारक की खनिज की आवश्यकता का आंकलन वैज्ञानिक रीति से किये जाने के उपरान्त स्वीकृति दी जा सकेगी।

4.8 प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने वाले आवेदकों को खनि रियायत की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी। एक ही अथवा आच्छादित खनिज क्षेत्र के आधार पर खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने वाले एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में, निम्न पहलुओं पर विचार करते हुए उपयुक्त क्षमता वाले योग्य आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(अ) ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य में ही खनिजों के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम के साथ एम. ओ.यू. (Memorundum of Understanding) किया हो।

(ब) यदि एम.ओ.यू. (Memorundum of Understanding) हस्ताक्षरित करनें वाले एक से अधिक आवेदक हैं, तब ऐसे आवेदक/आवेदकों, जिनके द्वारा मूल्य संवर्धन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से प्रभावकारी कदम जैसे–भूमि, वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति, आवश्यक जल, विधुत आदि की व्यवस्था तथा संयंत्र क्रय करनें के लिए अग्रिम राशि भुगतान कर आदेश जारी कर दिये हों। ऐसे आवेदकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया हो या इकाई स्थापित कर ली हो।

(स) उपलब्ध खनिज का आधुनिक तकनीक से खनन जिससे खनिज का अपव्यय कम से कम हो।

(द) आवेदक, यदि आवेदित क्षेत्र का भू–स्वामी हो।

(इ) खदानों के बीच गैर उत्खनित क्षेत्र के उपयोग हेतु वैज्ञानिक पद्धति से खनन हेतु समीपस्थ खदान के साथ अन्य खदान स्वीकृत करना।

(फ) खनन कार्य एवं मूल्य संवर्धन इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की वचनबद्धता देने वाले आवेदक।

4.9 खनि रियायत धारी से संस्थागत सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) की वचनबद्धता सुनिश्चित करने के लिये पारस्परिक सहमति के आधार पर अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा।

4.10 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति व्दारा खनि रियायत प्रकरणों की समयसीमा में स्वीकृति दिये जाने एवं स्वीकृति के उपरान्त कम से कम समय में खनन हेतु आवश्यक अनुमतियां जारी किये जाने का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जावेगी । यह समिति खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं खनिज नीति 2010 के क्रियान्वयन का भी अनुश्रवण करेगी।

(5) प्रदेश में बहुतायत में पाये जाने वाले खनिजों हेतु खनि रियायत

5.1 बहुतायत से पाए जाने वाले खनिज यथा चूना पत्थर, आयरन ओर, मैगनीज, बाक्साइट की खनि रियायत राज्य में मूल्य संवर्धन संयंत्र स्थापित करने वाले आवेदकों को दी जाएगी ।

5.2 जहॉ कि इन खनिजों के भंडार की कम मात्रा में होने से तथा इनकी अवस्थिति के कारण मूल्य संवर्धन इकाई की स्थापना करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा उन्ही प्रकरणों में मात्र खनिज विक्रय हेतु खनि रियायत स्वीकृत की जायेगी।

(6) वैज्ञानिक एवं सुनियोजित खनन

6.1 खनि रियायतें 'जीरो वेस्ट' सिद्धान्त पर स्वीकृत की जाएगी। राज्य सरकार, भारतीय खान ब्यूरो एवं महानिदेशक खान सुरक्षा विभाग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैज्ञानिक एवं सुनियोजित खनन सुनिश्चित कराएगा। इस प्रयोजन के लिए तीनों ऐजेन्सियों के मध्य व्यापक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

6.2 संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म में माईनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के लिये विशेषज्ञता विकसित की जायेगी। संचालनालय द्वारा खनन संक्रियाओं की नियमित समीक्षा की जायेगी।

6.3 प्रदेश में अयस्क की श्रेणी उन्नयन तकनीक तथा तकनीकी–आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करने की विशेषज्ञता भी विकसित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

6.4 जिला स्तरीय टास्क फोर्स राज्य में स्वीकृत मुख्य खनिजों की खनि रियायतों का वार्षिक निरीक्षण करेगा। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्त नियमों विशेषकर खनिज नियमों, पर्यावरण नियमों एवं श्रम कानूनों का पूर्ण पालन हो।

(7) भूमि उपयोग एवं निरंतर विकास

खनिजों के सुनिश्चित विकास की दृष्टि से पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का पूरा ध्यान रखा जायेगा। खनिजों के विकास से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति

के लिये वृक्षारोपण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अनुशंसाओं एवं नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। खान बंद करनें की योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन में स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, गैर सरकारी संगठन आदि को भी जोडा जायेगा।

(8) अधोसंरचना का विकास

8.1 खनिजों के निष्कर्षण एवं उपयोग और खनिज आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए अधोसंरचना का विकास एक बुनियादी जरूरत है। खनिज धारी क्षेत्रों में मौजूदा अधोसरंचना पर्याप्त नहीं है। अतः खनन क्षेत्रों के अन्दर सड़कों का विकास और रेल्वे एवं मुख्य मार्गो को जोडने वाली सड़कों के रखरखाव को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

8.2 खनन क्षेत्र में अयस्क को कन्वेयर बेल्ट (Conveyer belt)] रोप वे (Roap way) और अन्य इसी प्रकार की विधियों के माध्यम से रेल्वे साइडिंग (Railway siding), स्टाक यार्ड (Stock Yard) तक ले जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे कि प्रदूषण, भीड भाड़ एवं सड़कों को खराब होने से बचाया जा सकेगा।

8.3 राष्ट्रीय खनिज नीति के प्रावधानों के अनुसार खनन क्षेत्र के आसपास अधोसरंचना के विकास हेतु भारत सरकार से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission) के अनुरूप खनन क्षेत्र में अधोसंरचना और अन्य विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की जावेगी।

(9) आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में खनि रियायतों की स्वीकृति

अधिसूचित क्षेत्रों जिसमें कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की बहुलता है में खनि रियायतों की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में दी जायेगी। इन क्षेत्रों में खनि रियायत हेतु स्थानीय अनुसूचित जनजाति समुदाय, संगठनों अथवा सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें स्वीकृति में प्राथमिकता दी जावेगी।

(10) पर्यावरण एवं वन संबंधी अनुमतियॉ

10.1 राज्य सरकार वन क्षेत्रों में खनि रियायतों से संबंधित आवेदनों का एक समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करेगी जहॉ खनन से संबंधित गतिविधियों से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है एवं ऐसे क्षेत्रों को 'खनन हेतु अनुपलब्ध' (No Go) घोषित किया जायेगा। राज्य सरकार प्रदेश में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर एक लैंड बैंक भी बनायेगी जिससे कि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र अनुमतियॉ भारत सरकार से प्राप्त हो सके।

10.2 संरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्रों में कम मूल्य के खनिजों (मुख्य एवं गौण खनिज) की खनि रियायत स्वीकृति को हतोत्साहित किया जाएगा।

(11) खनिज राजस्व में वृद्धि

11.1 वर्तमान बाजार दरों के अनुपात में गौण खनिजों की रायल्टी की दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा।

11.2 फर्शीपत्थर की खदानों को पारदर्शी नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा।

(12) खनन हेतु मानव संसाधन विकास

12.1 खनिज क्षेत्र को जीवन्त एवं और अधिक गतिशील बनाने के लिए उपयुक्त तकनीकी मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। अतः प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में खनन अभियांत्रिकी संबंधी स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कराने के प्रयास किये जाएंगे। इसके साथ ही अन्य तकनीकी अमला जैसे खान फोरमेन, मेट, खान ब्लास्टर, खान सर्वेयर आदि की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रदेश के औद्योगिक तकनीकी संस्था में उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

12.2 औद्योगिक तकनीकी संस्थानों में पाठ्यक्रम की संरचना तथा संचालन में खनिज उद्योगों की सक्रिय सहयोगिता सुनिश्चित की जाएगी।

12.3 खनन उद्योगों को औद्योगिक तकनीकी संस्था प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

=========0=========

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश के मुख्य खनिज भण्डारों का विवरण'

क्रमांक	खनिज	इकाई	कुल भण्डार
1	ताम्र अयस्क	मिलियन टन	227.14
2	हीरा	हजार कैरेट	1205.00
3	डायस्पोर	मिलियन टन	2.04
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	116.00
5	चूना पत्थर	मिलियन टन	795.10
6	मैंगनीज अयस्क	मिलियन टन	27.47
7	रॉक फास्फेट	मिलियन टन	19.15
8	पायरोफिलाइट	मिलियन टन	10.29
9	कोयला (01.04.08 की स्थिति में)	मिलियन टन	20559.96

' स्त्रोतः (मिनरल ईयर बुक – भारतीय खान ब्यूरो, 2008)

परिशिष्ट–2

खनिज उत्पादन

(उत्पादन लाख टन में)

क्र०	खनिज का नाम	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (प्रावधिक)
1	कोयला	555.79	597.26	679.54	713.36	740.00
2	चूनापत्थर	252.74	284.11	256.40	260.67	280.00
3	ताम्र अयस्क	17.06	22.70	21.92	16.04	19.09
4	मैंगनीज अयस्क	4.25	4.75	5.68	7.02	5.80
5	हीरा (कैरेट में)	44170	2180	601	539.00	9959
6	डोलोमाइट	1.29	1.67	1.64	1.49	2.00
7	बॉक्साइट	1.02	1.44	4.55	11.35	19.50
8	रॉक फास्फेट	1.78	1.93	1.20	2.07	2.10
9	डायस्पोर / पायरोफिलाइट	1.58	1.24	1.83	2.02	2.20
10	फायरक्ले	0.75	0.51	0.56	0.48	0.57
11	लेटेराइट	1.42	0.83	1.24	0.73	0.95
12	कैलसाइट	–	–	–	–	–
13	आयरन ओर	4.64	12.12	22.16	7.98	16.00
14	स्लेट	4.26	4.75	5.57	0.09	0.10
15	केओलीन	0.17	0.15	0.10	0.11	0.20
16	गेरू	0.18	0.25	0.35	0.09	0.08
17	क्ले (अन्य)	1.12	4.43	2.42	1.14	1.15
18	अन्य मुख्य खनिज	0.40	0.50	0.60	5.71	1.50
योग मुख्य खनिज		**848.45**	**938.64**	**1005.76**	**1030.35**	**1091.24**
योग गौण खनिज		**390.73**	**435.28**	**572.05**	**630.00**	**700.00**
महायोग		**1239.18**	**1373.92**	**1577.81**	**1660.35**	**1791.24**

टीप : महायोग में हीरा का उत्पादन शामिल नही है।

परिशिष्ट—3

खनिज राजस्व

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र०	खनिज का नाम	2005—06	2006—07	2007—08	2008—09	2009—10 (प्रावधिक)
1	कोयला	569.09	609.06	770.97	966.22	1025.11
2	चूनापत्थर	131.03	145.55	144.61	141.22	259.54
3	ताम्र अयस्क	10.14	22.50	21.69	13.22	22.52
4	मैंगनीज अयस्क	4.74	5.43	9.81	21.94	17.03
5	हीरा (कैरेट में)	4.53	1.52	0.71	0.09	0.54
6	डोलोमाइट	1.04	1.10	1.34	1.65	2.47
7	बॉक्साइट	1.05	1.52	3.84	9.30	17.46
8	रॉक फास्फेट	0.76	0.44	0.75	0.78	0.88
9	डायस्पोर / पायरोफिलाइट	0.56	0.50	1.03	1.06	1.56
10	फायरक्ले	0.36	0.37	0.21	0.20	0.25
11	लेटेराइट	0.27	0.52	0.64	0.73	1.05
12	कैलसाइट	—	—	—	—	—
13	आयरन ओर	0.29	1.17	2.09	0.90	2.12
14	स्लेट	0.08	0.08	0.09	0.03	0.04
15	केओलीन	0.04	0.08	0.09	0.05	0.12
16	गेरू	0.10	0.08	0.11	0.22	0.20
17	क्ले (अन्य)	0.04	0.09	0.12	0.09	0.09
18	अन्य मुख्य खनिज	2.78	5.81	21.74	32.98	25.62
योग मुख्य खनिज		**726.90**	**795.82**	**979.84**	**1190.68**	**1376.60**
योग गौण खनिज		**92.48**	**128.09**	**145.55**	**170.40**	**213.40**
महायोग		**819.38**	**923.91**	**1125.39**	**1361.08**	**1590.00**